न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
163/प्रा.पत्र/2017	13.04.2017	28.11.2019

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

गोरू आ. देवी जाति बैरवा, निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 18.01.1983 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से – श्री प्रेम शंकर गुर्जर, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थी गोरू आ. देवी जाति बैरवा निवासी पेच की बावडी को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 313 रकबा 10 बिस्वा ग्राम पेच की बावडी, तहसील हिण्डोली को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस पेरोकार व अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गई।

अप्रार्थी ने दिनांक 21.06.2018 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। काबिज होकर काश्त की जा रही है। उक्त भूमि ही अप्रार्थी के आय का जरिया है। पटवारी हल्का ने गलत मौका रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी के विरूद्व यह कार्यवाही पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी ने आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किये कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा

काश्त नहीं है। भूमि नाकाबिल काश्त है। आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने गोरधन आ. देवी चमार के नाम से आवंटन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर बाद जांच रिपोर्ट पटवारी के आवंटन संलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.01.1983 को पूर्ण आवंटन कोरम में खसरा नं. 313 रकबा 10 बिस्वा ग्राम पेच की बावडी में आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात् आवंटी को दिनांक 31.01.1985 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर दखल दिया गया था। कब्जा रिपोर्ट में आवंटी गोरधन के स्थान पर नारायण आ. देवी चमार अंकित है तथा आवंटन के पश्चात् जो आवंटन अधिकारी द्वारा भू–आवंटन आदेश जारी किया गया है। उसमें गोरू आ. देवी चमार अंकित है तथा आवंटन आदेश 28.12.1975 अंकित है एवं खसरा नं. भी अलग अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी का नाम व आवंटन दिनांक व दखलनामा में आवंटी का नाम अलग अंकित है तथा जो पट्टा मूल पत्रावली में संलग्न है उसमें आवंटन दिनांक व खसरा नं. भी अलग अंकित है। प्रार्थी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र की पूर्ण रूप से जांच नहीं की गई है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेज व मूल आवंटन पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजो में भिन्नता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सही जांच करके पेश नहीं किये जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)